

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-02/2015

/कृ०, पटना, दिनांक

अगस्त, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अखिलेश्वर राय,
मेसर्स महावीर बजरंग एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०,
इण्डस्ट्रीयल इस्टेट बेला,
मुजफ्फरपुर-842005

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-92 दिनांक 06.12.2013 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि के आलोक में अनुज्ञप्ति संख्या-92 दिनांक 06.12.2013 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Cartap Hydrochloride 50% SP
2	Chlorpyrifos 10% GR
3	Carbofuran 3% CG
4	Glyphosate 41% SL
5	Hexaconazole 5% EC
6	Cartap Hydrochloride 4% GR
7	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
8	Mancozeb 75% WP

2- उपरोक्त कीटनाशी का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मेसर्स महावीर बजरंग एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट बेला, मुजफ्फरपुर-842005 (फैक्ट्री पता)

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

7- भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशी का बिक्री/ भंडारण सर्वथा वर्जित है।

8- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

9- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10- मूल अनुज्ञप्ति संख्या 92 दिनांक 06.12.2013 इसके साथ संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

५२५४

/कृ०, पटना, दिनांक ३१ अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।